

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 294/2024 प्रार्थनापत्र

01. लाडु पुत्र भारू गुर्जर आयु बालिग निवासी- कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
— प्रार्थी

**बनाम**

01. पेमाराम पुत्र भागुराम गुर्जर आयु बालिग निवासी- कुवार तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
02. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

— विपक्षी

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 129, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम**

उपस्थित :-

01. श्री मुकेश सिंह तंवर  
02. विपक्षी संख्या 01  
03. परोकार सरकार

—अधिवक्ता प्रार्थी

अनुपस्थित

—अधिवक्ता-विपक्षी

दिनांक- 13.01.2025

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने धारा 129, 131, 136 लैंड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद कुवार पटवार हल्का मोटा का खोडा भू अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में वर्तमान खाता संख्या 112 कुल कित्ता 01 रकबा 0.5059 हैक्टर जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 01 का अन्य आराजी पर काबीज होकर स्थित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19/06/2024 को पटवार हल्का मोटा का खोडा से राजस्व नक्शे की नकल प्राप्त की व ऑनलाईन नक्शे की नकल भी प्राप्त की तो प्रार्थी को जानकारी में आया कि पटवार हल्का मोटा का खोडा के यहां मौजूदा नक्शा शीट अनुसार उक्त आराजियात को वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में अन्य जगह तरमीम कर रखी है, जो गलत है व प्रार्थी का मौके पर कब्जा भी आराजी नम्बर 736/7 में ही है, उसी अनुसार काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। उसे नक्शा शीट के अनुसार ऑनलाईन नक्शे में तरमीम को दुरुस्त कराकर पटवार हल्का मोटा का खोडा को नक्शा शीट अनुसार आराजी नम्बर 736/7 को दुरुस्त कर ऑनलाईन नक्शे में तरमीम शुद्धि की जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम होने की जानकारी होने पर विपक्षी को पटवार हल्का मोटा का खोडा के राजस्व नक्शे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, जिस पर विपक्षी द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने के आदेश लाने हेतु कहा। गलत तरमीम को दुरुस्त कर कब्जे अनुसार तरमीम करायी जाना आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी को नोटिस जारी किया गया विपक्षी संख्या 01 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिया जाता है। व विपक्षी 02 द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी। जिसे शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया, जिस हेतु विपक्षी संख्या 01 द्वारा भी पटवार हल्का मोटा का रिपोर्ट अनुसार भी विपक्षी संख्या 01 ने सहमति होना बताया गया।

मैंने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित आवंटित आराजी का मूल रकबा बड़ा होने व आवंटन कब्जा


  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

नुसार मौके पर कब्जा दिया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है एवं आवंटन कब्जे अनुसार सजरम नक्शे में तरमीम नहीं किया जाना मौका रिपोर्ट से प्रतीत होता है। अतः पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि नक्शे में सही तरमीम नहीं होने से पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट में वर्णित कब्जे व संलग्न नक्शे अनुसार तरमीम होने पक्षकारों के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः मौका रिपोर्ट में वर्णित कब्जे अनुसार तरमीम करवाया जाना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेदन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

**:: आदेश ::**

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर सरहद कुंवार पटवार हल्का गोटा का खेडा अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 736/7 रकबा 0.5059 हैक्टर को मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे अनुसार वर्णित तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना में तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावे। मौका नक्शा की प्रति संलग्न है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)